मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2010—माघ 30, शक 1931

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2010

क्र. ई. 1-161-2009-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 के पद-1 जिसके द्वारा श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश पदस्थ किया गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 के पद-3 जिसके द्वारा श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, भाप्रसे (2001), परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पदस्थ किया गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

क्र. ई. 5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, आयएएस, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 29 जनवरी 2010 से 4 फरवरी 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश की अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-796-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लोकेश कुमार जाटव, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी को दिनांक 1 से 11 फरवरी 2010 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30, 31 जनवरी 2010 एवं 12, 13, 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री लोकेश कुमार जाटव की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरौलिया, अपर कलेक्टर, डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार जाटव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरौलिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार जाटव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार जाटव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-821-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहैल अली, आयएएस, कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 1 से 11 फरवरी 2010 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. सुहैल अली की अवकाश की अवधि में श्री एम. के. अग्रवाल, आय.ए.एस., कलेक्टर, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भिण्ड का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहैल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. सुहैल अली द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला भिण्ड के चालू कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. सुहैल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहैल अली, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी, 2010

क्र. ई. 5-290-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एम. के. राय, आयएएस, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल को दिनांक 2 से 8 फरवरी 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एम. के. राय की अवकाश की अवधि में श्री देवेन्द्र सिंघई, आय.ए.एस., सदस्य-सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. राय द्वारा अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री देवेन्द्र सिंघई,

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2010

क्र. एफ. 7-14-2010-7-1-स्था.-3.—राज्य शासन, डॉ. कोमल सिंह को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर संविदा पर दिनांक 1 फरवरी, 2010 से आगामी आदेश तक के लिये नियुक्त करता है।

(2) श्री सिंह की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जाएंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका उपाध्याय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. एफ-ए-3-4-2010-एक(1).—मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-20-1997-तेरह, दिनांक 29 जनवरी 2010 द्वारा श्री राकेश साहनी को दिनांक 1 फरवरी 2010 से, सलाहकार, ऊर्जा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल नियुक्त किया गया है.

(2) राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राकेश साहनी को मंत्री दर्जा प्रदान करता है.

(3) यह आदेश दिनांक 1 फरवरी 2010 से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ ए 5-01-2010-एक(1)-158.—माननीय न्यायाधिपति श्री आलोक अराधे, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13023-2-2008-यूएस II, दिनांक 23 दिसम्बर 2009 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 29 दिसम्बर 2009 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2010

क्र. एफ ए 5-5-2010-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री संजय यादव, माननीय न्यायाधिपति श्री केदार सिंह चौहान, माननीय न्यायाधिपति श्री सतीशचंद्र शर्मा, माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव और माननीय न्यायाधिपति श्रीमती इंद्रानी दत्ता जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13025-5-2009-यूएस II, दिनांक 12 जनवरी 2010 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 15 जनवरी 2010 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

क्र. ई-5-805-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 18 से 25 जनवरी 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जनवरी 2010 एवं 26 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर संभाग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. ई-5-814-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 4 से 7 जनवरी 2010 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल/नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. ई-5-720-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गुलशन बामरा, आयएएस., संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2010 द्वारा दिनांक 6 से 15 जनवरी 2010 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश समाप्ति के पूर्व इनके द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2010 को अपने कार्य पर उपस्थिति होने के कारण उक्त अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 6 से 11 जनवरी 2010 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, अवर सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ-23-2-सा-उन्नीस.—टोल एक्ट, 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) की धारा 2 की सहपठित धारा 4 जैसा कि वह मध्यप्रदेश राज्य को लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, खण्डवा जिले के पंधाना कुंडिया बरखेड़ी मार्ग के कि.मी. 2/6 में घोड़वा नदी नवनिर्मित पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-2000-जी-उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-19-84-जी-उन्नीस, दिनांक 12 जून 1985 एवं क्रमांक एफ-23-2-94-सा-उन्नीस, दिनांक 9 मई 1994 को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ-23-2-2010-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-09-2002-सा-उन्नीस, दिनांक 27 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2010

No. F-23-2-2010-G-XIX.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Tax Act, 1851 (viii of 1851) in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby levies Toll Tax on River Bridge situated in Pandhana Kundiya Barkhedi Road Bridge in KM 2/6 in Khandwa District at rates specified in the second schedule appended to this Department's Notification No. F-32-4-2000-G-XIX, Dated 21st July 2000, and declared that the vehicles specified in the third schedule to this Department's Notification No. F-31-19-84-G-XIX, Dated 12th June 1985, and Notification No. F-23-2-94-G-XIX, dated 9th May 1994 shall be exempted from the payments of the said Tolls.

This Notification shall come into force with effect from 27th January 2010.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
J. K. JAIN, Dy Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ-23-3-2010-सा-उन्नीस.—टोल एक्ट, 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) की धारा 2 की सहपठित धारा 4 जैसा कि वह मध्यप्रदेश राज्य को लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, खण्डवा जिले के सिरपुर जामली कोहदड़ मार्ग के कि.मी. 7/4-6 में वगमार नदी पर नवनिर्मित पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-2000-जी-उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-19-84-जी-उन्नीस, दिनांक 12 जून 1985 एवं क्रमांक एफ-23-2-94-सा-उन्नीस,

दिनांक 9 मई 1994 को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

पृ. क्र. एफ-23-3-2010-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-09-2002-सा-उन्नीस, भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2010

No. F-23-3-2010-G-XIX.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Tax Act, 1851 (viii of 1851) in its applications to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby levies Toll Tax on River Bridge situated in Sirpur Jamli Kohdarh Road Bridge in KM 7/4-6 in Khandwa District at rates specified in the second schedule appended to this Department's Notification No. F-32-4-2000-G-XIX, Dated 21st July 2000, and declared that the vehicles specified in the third schedule to this Department's Notification No. F-31-19-84-G-XIX, Dated 12th June 1985, and Notification No. F-23-2-94-G-XIX, dated 9th May 1994 shall be exempted from the payments of the said Tolls.

This Notification shall come into force with effect from 27th January 2010.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
J. K. JAIN, Dy Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ-23-4-2010-सा-उन्नीस.—टोल एक्ट, 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) की धारा 2 की सहपठित धारा 4 जैसा कि वह मध्यप्रदेश राज्य को लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, खण्डवा जिले के पंधाना रूस्तमपुर मार्ग के कि.मी. 3/2 में नवनिर्मित सिलरिया पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-2000-जी-उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-19-84-जी-उन्नीस, दिनांक 12 जून 1985 एवं क्रमांक एफ-23-2-94-सा-उन्नीस, दिनांक 9 मई 1994 को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. एफ-23-4-2010-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-09-2002-सा-उन्नीस, दिनांक 27 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2010

No. F-23-4-2010-G-XIX.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Tax Act, 1851 (viii of 1851) in its applications to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby levies Toll Tax on River Bridge situated in Pandhana Rustampur Bridge in KM 3/2 in Khandwa District at rates specified in the second schedule appended to this Department's Notification No. F-32-4-2000-G-XIX, Dated 21st July 2000, and declared that the vehicles specified in the third schedule to this Department's Notification No. F-31-19-84-G-XIX, Dated 12th June 1985, and Notification No. F-23-2-94-G-XIX, dated 9th May 1994 shall be exempted from the payments of the said Tolls.

This Notification shall come into force with effect from 27th January 2010.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
J. K. JAIN, Dy Secy.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. एफ.-3-10-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 सितम्बर 2009 को, प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	इन्दौर संभाग	
1.	श्रीमती मीना मण्डलोई	सहा. परियोजना प्रशासक (सश्रेय)
2.	श्रीमती कविता आर्य	विकासखण्ड अधिकारी (सश्रेय)
	भोपाल संभाग	
3.	श्री आनंद कुमार पाण्डे	क्षेत्र संयोजक (सश्रेय)
	जबलपुर संभाग	
4.	श्री सत्येन्द्र सिंह मरकाम	सहा. परियोजना प्रशासक (सश्रेय)
5.	कु. प्रिया मालवीय	सहा. परियोजना प्रशासक (सश्रेय)
	निम्नस्तर	
	उज्जैन संभाग	
1.	सुश्री शकुन्तला डामोर	जिला संयोजक
	इन्दौर संभाग	
2.	श्री भूरसिंह रावत	अति. सहायक विकास आयुक्त.

क्र. एफ.-3-88-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 सितम्बर 2009 को, प्रश्नपत्र खनिज प्रबंधन (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	निम्नस्तर	
	ग्वालियर संभाग	
1.	श्री सावन सिंह चौहान	सहायक भौमिकी (विद्)

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2010

क्र. एफ.-3-53-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को, प्रश्नपत्र तृतीय सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	जबलपुर संभाग	
1.	श्री देवराज मिश्रा	वन क्षेत्रपाल
	रीवा संभाग	
2.	श्री ललित कुमार पाण्डे	वन क्षेत्रपाल

क्र. एफ.-3-92-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 सितम्बर 2009 को, प्रश्नपत्र तृतीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1.	श्री रमेश कुमार कुमरे	अधीक्षक, भू-अभिलेख
2.	कु. मधुरानी तेवतिया	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
3.	श्री व्ही. किरण गोपाल	सहायक कलेक्टर
4.	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)

(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
5.	श्री हृदयेश कुमार श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
6.	श्री विकास नरवाल	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
7.	श्री इच्छित गढपाले	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
8.	कु. नेहा भारतीय	डिप्टी कलेक्टर
9.	श्रीमती शोभा बागड़े	अधीक्षक भू-अभिलेख
10.	सुश्री सरिता लाल	नायब तहसीलदार
11.	श्री अजय कुमार हिंगे	नायब तहसीलदार
12.	श्री अखिलेश कुमार जैन	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
13.	श्री रिंकेश कुमार वैश्य	डिप्टी कलेक्टर
14.	कु. सुनिता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
15.	श्री प्रदीप जैन	डिप्टी कलेक्टर
16.	श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर	डिप्टी कलेक्टर
17.	श्री भरत यादव	सहायक कलेक्टर
18.	श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
19.	श्री उमराव सिंह मरावी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
20.	श्री वीरसिंह अवासिया	नायब तहसीलदार
21.	श्रीमती लक्ष्मी गामड़	डिप्टी कलेक्टर
22.	श्री प्रवीण फुलपगारे	डिप्टी कलेक्टर
23.	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
24.	कु. विमलेश सिंह	डिप्टी कलेक्टर
	ग्वालियर संभाग	
25.	कु. छवि भारद्वाज	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
	इन्दौर संभाग	
26.	भागीरथ वाखला	नायब तहसीलदार
27.	श्री शक्तिसिंह चौहान	नायब तहसीलदार
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1.	श्री बृजेश सक्सेना	नायब तहसीलदार
2.	श्री जगदीश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
3.	श्री आर. एस. ईरपाचे	अधीक्षक, भू-अभिलेख
4.	श्री विनय कुमार रिछारिया	नायब तहसीलदार
5.	कु. सुरभि सोनी	डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
6.	श्रीमती रिंकी बामनिया	नायब तहसीलदार
	रीवा संभाग	
7.	डॉ. के. वासूकी	सहायक कलेक्टर
8.	श्री एम. सी. बी. चक्रवर्ती	सहायक कलेक्टर
9.	श्री जे. पी. आइरिन सितिया	सहायक कलेक्टर
10.	श्री बालमीक प्रसाद साकेत	राजस्व निरीक्षक
	सागर संभाग	
11.	श्री विशेष गढपाले	सहायक कलेक्टर
12.	श्री दिनेश असाटी	राजस्व निरीक्षक
13.	श्री राजेन्द्र मिश्र	नायब तहसीलदार
	ग्वालियर संभाग	
14.	श्री बृज किशोर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
15.	श्री मुनीम मोहम्मद	राजस्व निरीक्षक
	इन्दौर संभाग	
16.	डॉ. अभय सिंह खरारी	डिप्टी कलेक्टर
17.	श्री काशीराम वास्कले	राजस्व निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधु खरे, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2010

क्र. एफ-9-2-2008-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मेसर्स इंडियन कॉफी वर्क्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2009 से दिनांक 30 सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथा संभव उसे उन्नत करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. सिंह, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. एफ-7-58-2005-बत्तीस.—यह कि श्रीमती अनीता गांधी, निलम्बित सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुख्यालय, भोपाल को मा. विशेष न्यायालय, जिला उज्जैन द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 1/06 में पारित निर्णय दिनांक 21 अक्टूबर 2009 द्वारा धारा 7, 13(1) डी सहपठित धारा 13(2) भ्र. नि. अधि., 1988 के अन्तर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा रुपये 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.

2. और यह कि श्रीमती अनीता गांधी के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि उनका कृत्य जिसके लिए उनको दोषी माना गया है, से उनका शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है ऐसी स्थिति में उनका कृत्य म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) एवं (3) के अन्तर्गत कदाचरण की परिधि में आता है अत: श्रीमती गांधी को शासकीय सेवा में बनाये रखना औचित्यपूर्ण नहीं होने से उनको सेवा से पदच्युत करने का अनंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त किया गया. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 13764-218-09-जीएस, दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा श्रीमती अनीता गांधी, निलंबित सहायक संचालक को सेवा से पदच्युत करने की दीर्घशास्ति से दंडित करने के प्रस्ताव से सहमति प्रदान की गई है.

3. अत: राज्य शासन द्वारा श्रीमती गांधी, निलंबित सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुख्यालय, भोपाल पर गंभीर कदाचरण के कृत्य के प्रकाश में शासकीय सेवा से पदच्युत (डिसमिस) की दीर्घशास्ति आदेश दिनांक 5 फरवरी 2010 से अधिरोपित की जाती है.

क्र. एफ-7-58-2005-बत्तीस.—यह कि श्री राकेश गांधी, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला छिन्दवाड़ा को मा. विशेष न्यायालय, जिला उज्जैन द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 1/06 में पारित निर्णय दिनांक 21 अक्टूबर 2009 द्वारा धारा 7, 13(1) डी सहपठित धारा 13(2) भ्र. नि. अधि., 1988 के अन्तर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा रुपये 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.

2. और यह कि श्री राकेश गांधी के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि उनका कृत्य जिसके लिए उनको दोषी माना गया है, से उनका शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है ऐसी स्थिति में उनका कृत्य म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) एवं (3) के अन्तर्गत कदाचरण की परिधि में आता है अत: श्री राकेश गांधी को शासकीय सेवा में बनाये रखना औचित्यपूर्ण नहीं होने से उनको सेवा से पदच्युत करने का अनंतिम निर्णय लिया जाकर प्रकरण में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अभिमत प्राप्त किया गया. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 13764-218-09-जीएस, दिनांक 27 जनवरी 2010 द्वारा श्री राकेश गांधी, सहायक संचालक को सेवा से पदच्युत करने की दीर्घशास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव से सहमति प्रदान की गई है.

3. अत: राज्य शासन द्वारा श्री राकेश गांधी, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा पर गंभीर कदाचरण के कृत्य के प्रकाश में शासकीय सेवा से पदच्युत (डिसमिस) की दीर्घशास्ति आदेश दिनांक 5 फरवरी 2010 से अधिरोपित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2010

क्र. एफ-3-9-बत्तीस-2009.—राज्य शासन ने एतद्द्वारा निर्णय लिया है कि भोपाल में महाराणा प्रताप नगर के समीप निर्माणाधीन डी. बी. मॉल के समीपस्थ मार्गों एवं चौराहों के पुनर्नियोजन एवं 12 मीटर चौड़े मार्ग के निर्माण (मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 14(क) द्वारा गठित समिति, जिसके द्वारा बहुमंजिला भवन के स्थल समाशोधन हेतु गठित समिति की शर्त के अनुरूप) हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :—

1. भोपाल हाट एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के मध्य व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को आवंटित भूमि में से 12 मीटर चौड़ा निकासी मार्ग के निर्माण हेतु भूमि का आरक्षण एवं आवंटन राजधानी परियोजना प्रशासन को मार्ग निर्माण हेतु किया जावे.
2. उपर्युक्त कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित अनुसार मार्ग के निर्माण पर व्यय होने वाली राशि मेसर्स डी. बी. मॉल द्वारा निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करायी जावे.
3. प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की बाउण्ड्री वॉल टूटने के कारण नई बाउण्ड्री वॉल का निर्माण व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के निर्देशानुसार निर्माण एजेन्सी द्वारा किया जाये जिस पर होने वाले व्यय को मेसर्स डी. बी. मॉल्स द्वारा वहन किया जावे.
4. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा झुग्गियाँ हटाने एवं लॉन तथा कम्पाउन्ड वॉल निर्माण पर व्यय किये गये रुपये 33.00 लाख की प्रतिपूर्ति मय ब्याज के व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को डी. बी. मॉल द्वारा की जावे.

5. द्वितीय चरण में आई. टी. पी. आई. के यातायात संरचना को सुव्यवस्थित करने हेतु दिये गये प्रस्तावों के क्रियान्वयन में व्यय होने वाली राशि भी राज्य शासन एवं डी. बी. मॉल द्वारा समान रूप से वहन की जावेगी.

6. सड़क तथा बाउण्ड्री वॉल के निर्माण की अवधि में निर्माण राशि में होने वाली वृद्धि भी डी. बी. मॉल द्वारा वहन की जावेगी.

7. द्वितीय चरण में आई. टी. पी. आई. के अध्ययन रिपोर्ट अनुसार यातायात संरचना को व्यवस्थित करने हेतु प्रस्तावों के क्रियान्वयन की निर्माण अवधि में निर्माण राशि में होने वाली वृद्धि को भी राज्य शासन एवं डी. बी. मॉल द्वारा समान रूप से वहन की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2010

फा. क्र. 1(बी)-6-05-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जनवरी 2006 द्वारा नियुक्त श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, कटनी के कार्यकाल में कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 31 जनवरी 2010 से 30 जनवरी 2013 तक कार्यकाल में तीन वर्ष की वृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 29 जनवरी 2010

क्र. 06-स्था./स्था. अव.-51-5-10.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, एस. एन. रूपला, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2010 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार पूरे दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	त्यौहार का नाम	दिन	दिनांक	अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भाईदूज (होली)	मंगलवार	2-3-2010	सम्पूर्ण जिला
2	अनंत चतुर्दशी	बुधवार	22-9-2010	सम्पूर्ण जिला
3	दीपावली (दूसरा दिन)	शनिवार	6-11-2010	सम्पूर्ण जिला

यह अवकाश, बैंक एवं कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

एस. एन. रूपला, कलेक्टर,

कार्यालय, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2010

आदेश

क्र. एफ-1-6-2009-रास-यूए-1-218.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, एतद्द्वारा प्रो. रामराजेश मिश्रा, आचार्य, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

रामेश्वर ठाकुर
कुलाधिपति.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 15 जनवरी 2010

रा.प्र.क्र. 01-अ-82-2009-10-भू.अ.अ.—चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	मुडवारा प.ह.नं. 43	0.013 हेक्टर 132.11 वर्गमीटर	आयुक्त, नगरपालिक निगम, कटनी.	मार्ग चौड़ीकरण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 27 जनवरी 2010

क्र. 4-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 12अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	कांकरवा	2.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	पिपलिया सिहोर (माधव जलाशय) योजना के तालाब निर्माण में आने वाली डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पिपलिया सिहोर (माधव जलाशय) योजना के तालाब निर्माण में आने वाली डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 29 जनवरी 2010

रा.मा.क्र. 10-अ-82-वर्ष 09-10-पत्र क्र. 38-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	डोकरघाट नं. ब. 224 प.ह.नं. 14	0.202	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. डिसनेट संभाग, नरसिंहपुर	डोकरघाट माईनर निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रा.मा.क्र. 11-अ-82-वर्ष 09-10-पत्र क्र. 38-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	टेकापार नं. ब. 190 प.ह.नं. 77	0.062	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग, क्रमांक 1, करेली.	टेकापार माईनर नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. क्यू-भूमि संपादन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	घट्टिया	रनाहेड़ा	06.01 हे.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील, घट्टिया.	शंकरपुर तालाब योजना के अंतर्गत निजी भूमि का अर्जन हेतु.
		पानबिहार	10.08 हे.		
		योग . .	16.09 हे.		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजातशत्रु, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 2 फरवरी 2010

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	वर्धा प.ह.नं. 4/20	शासकीय भूमि 51.02 हे. एवं निजी भूमि 15.73 हे. कुल भूमि 66.75 हे. एवं प्रस्तावित रकबे पर आने वाली कुंआ, वृक्ष व अन्य संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर परियोजना सर्वे संभाग हटा (दमोह).	पवैया नाला जलाशय योजना एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पवैया नाला जलाशय योजना में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर, परियोजना सर्वे संभाग हटा (दमोह) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	रनेह	37.83	कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.	कचौरा जलाशय बांध डूब क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कचौरा जलाशय बांध डूब क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर, सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. ए. खण्डेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 2 फरवरी 2010

प्र. क्र. 10-अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	कितपुरा	2.152	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की हथौंहा शाखा नहर के अन्तर्गत कितपुरा माईनर हेतु भू-अर्जन.

भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	रानीपुर	4.141	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की हथौहा शाखा नहर के अन्तर्गत रानीपुर माईनर हेतु भू-अर्जन.

भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	डड़िया	3.232	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की हथौंहा शाखा नहर के अन्तर्गत डड़िया माईनर हेतु भू-अर्जन.

भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	मुकुन्दपुर	4.491	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की हथौहा शाखा नहर के अन्तर्गत मुकुन्दपुर/सराई वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.

भू-अर्जन का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लौंड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 3 फरवरी 2010

प्र. क्र. 1-अ 82-2008-09—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (निजी भूमि)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	मनुरिया	8.380	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली बकतौरा बेरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (निजी भूमि)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लौड़ी	भगौरा	7.182	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली छपरा, भगौरा माइनर I हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ 82-2009-10—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची इसके खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	बेरी	2.758	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की माधवपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली बकतौरा बेरी माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 4 फरवरी 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	श्यामपुर	तकिया	0.69 एकड़ 0.281 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	शाहजहाँपुर जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अविअ कार्यालय, सीहोर में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2010

प्र. क्र. 3-अ 82-09-10-भू-अ.अ.-जबलपुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अजित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	खुरसी प.ह.नं. 41/47	1.82	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 4, बरगी हिल्स, जबलपुर.	दांयी तट नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 5 फरवरी 2010

क्र. 168-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	निहाली	2.774	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म. प्र).	लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 169-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	बुदरा	0.715	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म. प्र).	लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 170-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	राईपुरा	8.372	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म. प्र).	लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 171-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	दानोद	13.790	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म. प्र).	लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 172-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 07-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	नरावला	1.537	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म. प्र).	लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 173-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	रोझानी	9.363	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म. प्र).	लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 174-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 09-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	मोरानी	19.281	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 12, राजपुर, जिला बड़वानी (म. प्र).	लोअर गोई परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12, राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 6 फरवरी 2010

क्र. 52-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 03-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	बोरगांव	37.714	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंडलेश्वर.	बोरगांव तालाब योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 25 जनवरी 2010

क्र. 1-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 27-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—जावरा

(ग) ग्राम—मेंहदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.19 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
253	0.01
258	0.04
260	0.02
261	0.01
262	0.05
280	0.04
287	0.01
288	0.12
291/2	0.02
324	0.09
327	0.06
325	0.02
346	0.04
348	0.03
350	0.01
351	0.08
502	0.04
669	0.01
678	0.04
680	0.04
684/2	0.04
685	0.04
687	0.03
688	0.08
691	0.03
692	0.06
702	0.13
योग . .	1.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मेंहदी जलाशय योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

प्र. क्र. 3 भू.अ-ए-82-वर्ष 2008-09-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) नगर/ग्राम—फंदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.542 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
518	0.020
520	0.266
521/1/1	0.060
521/2	0.146
526/1	0.010
530	0.040
योग . .	0.542

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का कारण भोपाल सीहोर—देवास फोरलेन सड़क निर्माण में फन्दा के टोल प्लाजा के प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील हुजूर, भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 फरवरी 2010

क्र. 806-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—बांकानागनपुर, प.ह.नं. 22, बं. नं. 195, रा.नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल. —05.387 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
348, 349	0.240
357	0.875
350, 351, 353, 354	01.395 एवं एक पक्का कुआं
359	0.267
361/2	0.041
362	0.020
365/2	0.060
369/7	0.100
397/2	0.113
400	0.240 कुआं कच्चा -01 मकान कच्चे -02
402	01.268
397/3	0.138
397/4, 369/3, 401/4 शासकीय भूमि मद घास	0.630 कुआं कच्चा -01 महुआ वृक्ष-02 13 कच्चे मकान
कुल योग . .	05.387 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दायीं तट नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ((प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उप संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 4 फरवरी 2010

क्र. क्यू-भू.-सम्पा-010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—तराना

(ग) ग्राम—लसुर्डिया बेचर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.64 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
112 पेकी	0.45
113 पेकी	0.12
128 पेकी	0.07
योग . .	0.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—मंडी घाट के समीप छोटी कालीसिंध नदी पर जल मग्नीय पुल निर्माण (पहुंच मार्ग) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तराना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजातशत्रु, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खंडवा, दिनांक 4 फरवरी 2010

क्र. भू-अर्जन-प्र.क्र. 24-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खंडवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) नगर/ग्राम—बीड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.02 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
189/3 पेकी	0.48
188/1 पेकी	0.02
192/1 पेकी	0.30
96 पेकी	0.25
90/1 पेकी	0.35
90/2 पेकी	0.19
91/1 पेकी	0.43
योग . .	2.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (4× 600 मे.वा.) जिला खंडवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि. खंडवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 फरवरी 2010

प्र. क्र. 13-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—गोयरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.004 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
1725/1	0.036
1820	0.093
1821	0.186
1822	0.162
1828/1	0.044
1828/2	0.045
1847	0.040
1848	0.295
1850	0.032
1851	0.137
1852	0.085
2278/1/9	0.300
2278/1/10	0.198
2278/12	0.205
2356	0.222
2357/1	0.083
2357/2	0.067
2358/2	0.078
2363	0.129
2376	0.133
2377	0.218
2378	0.002
2386	0.214
योग . .	3.004

(2) बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत ठकुराइनपुरवा माइनर नं. 2 हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—गोयरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.283 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
1000	0.076
1001/1	0.020
1001/2	0.070
1011/1	0.040
1014/1	0.012
1015/1	0.102
1015/2	0.045
1016	0.004
1018/1	0.008
1018/2	0.064
1019	0.068
1021	0.117
1022	0.117
1023	0.117
1029	0.160
1030	0.125
1031	0.079
1032	0.056
1033	0.008
1073	0.028
1074	0.194
1077	0.105
1078	0.198
1104	0.124
1105	0.125
1129	0.020
1130	0.202
1131	0.093
1132	0.198
1134	0.062
1138	0.077
1177	0.008
1178	0.012
1180	0.081
1181	0.081

(1)	(2)
1182	0.182
1188	0.148
1437	0.057
योग . .	3.283

(2) बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत गोयरा माइनर नं. 2 हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—गोयरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.220 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
1506/2/1	0.018
1506/2/2	0.172
1507	0.020
1511	0.145
1513	0.016
1516	0.125
1520/1	0.103
1520/2	0.083
1532/1	0.120
1533/1	0.234
1536	0.028
1540/2	0.065
1541/1	0.038
1554/2	0.102
1554/3	0.080
1555/1	0.170
1555/2	0.019
1556/1	0.040
1582	0.186
1583	0.036
1585/1	0.105
1590	0.020
1591/1	0.010
1592/1	0.076
1593	0.174
1594	0.004
1672	0.053
1673	0.129
1690/4	0.070
1714	0.060
1715	0.061
1716	0.145
1721/1	0.274
1721/2	0.006
1725/1	0.048
1731/1	0.040
1732	0.145
योग . .	3.220

(2) बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत गोयरा माइनर नं. 1 हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 फरवरी 2010

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 2अ-82-09-10 पत्र क्र. 497-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—करईया-विजुरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.270 हेक्टर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना करईया माइनर ग्राम करईया बिजुरिया में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि

खसरा क्रमांक सर्वे में	कुल रकबा	अधिग्रहित होने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
10/1	0.136	0.113
11/1	0.167	0.099
12/1	0.015	0.008
15	0.618	0.162
20	0.669	0.041
67	0.178	0.074
68	0.105	0.069
463	0.334	0.004
464	0.376	0.121
58	0.084	0.031
59	0.105	0.058
60	0.084	0.052
61/1	0.073	0.014
69/1	0.198	0.078
69/2	0.033	0.010
83	0.846	0.013
85	0.031	0.003
86	0.081	0.011
84	0.105	0.030
268	0.084	0.015
269	0.794	0.173
87	0.031	0.013
89	0.178	0.099
265	0.052	0.001
90	0.157	0.061
94/1	0.031	0.019
94/2	0.032	0.019
95	0.105	0.013
306	0.105	0.055
111	0.334	0.039
112/1	0.021	0.021
112/2	0.031	0.016
113/2	0.136	0.058
266	0.805	0.240
267	0.397	0.052
284	0.031	0.009
271	0.010	0.007
272	0.637	0.206
285	0.283	0.093
286	0.314	0.020
305/1क	0.119	0.052
305/1ख	0.042	0.042
305/2क	0.287	0.100
305/2ख	0.042	0.042
305/3	0.319	0.100
305/4	0.475	0.001
317	0.240	0.001
312/1 A 1	0.241	0.063
312/1 A 4	0.167	0.052
312/1क 316	0.295	0.053
312/1 A 2	0.282	0.032
312/1 A 3/2	0.216	0.039
371	1.150	0.269
374	0.105	0.001
461	0.303	0.129
462	0.303	0.042
472	1.411	0.099
473	0.073	0.004
465	0.418	0.123
466	0.105	0.128
467	1.233	0.175
21	0.366	0.085
471/1A 1A2	0.218	0.050

(1)	(2)	(3)
471/1A/B	0.491	0.050
471/1A2	0.606	0.205
471/1A3	0.474	0.060
471/1A/A/1	0.217	0.050
	19.0042	4.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 3अ-82-09-10 पत्र क्र. 498-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—सोनवारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.911 हेक्टर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना कर्रईया माइनर ग्राम सोनवारी में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि पटवारी हल्का नं. 25

खसरा क्रमांक सर्वे में (1)	कुल रकबा (2)	अधिग्रहित होने वाला रकबा (3)
794/2	0.094	0.012
796	0.094	0.029
797	0.115	0.051
946	0.073	0.018
945	0.073	0.010
808	0.303	0.042
809	0.251	0.087
810	0.115	0.081
811	0.073	0.025
814	1.495	0.002
815	0.345	0.125
820/2	1.327	0.119
816/2	0.481	0.151
816/3	0.585	0.040
843/1	0.826	0.175
843/2	0.836	0.020
844	0.178	0.061
845	0.188	0.039
847	0.157	0.013
848	0.157	0.083
849	1.097	0.080
852	0.052	0.004
853	0.021	0.007
854	0.157	0.108
857	0.188	0.102
859	0.125	0.074
860	0.24	0.032
861	0.073	0.012
862	0.125	0.094
954	0.094	0.056
863/1	0.084	0.002
941	0.178	0.016
943	0.136	0.025
942	0.261	0.159
944	0.094	0.090
950	0.094	0.041
951	0.105	0.067
952	0.157	0.001
953	0.073	0.052
955	0.146	0.018
960	0.105	0.069
961	0.167	0.103
1020	0.115	0.071
1021	0.182	0.078
1030	0.105	0.061
1028	0.084	0.065
1029	0.146	00.22
1031	0.094	0.045
1032	0.094	0.031
1033/1	0.063	0.023
1033/2	0.063	0.023
1040	0.470	0.016
1041	0.115	0.081
	13.069	2.911

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 4अ-82-09-10 पत्र क्र. 499-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—धतूरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.816 हेक्टर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना

नागौद (सतना) शाखा नहर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2009-10 ग्राम धतूरा, पटवारी हल्का नंबर 7, तहसील मैहर, जिला सतना, (म. प्र.)

खसरा नं	अधिग्रहित होने वाला रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
74	0.547	
103/1	0.130	
103/2ख	0.139	
योग . .	0.816	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 5अ-82-09-10 पत्र क्र. 502-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—गहबरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.591 हेक्टर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना

गनबरा माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2007-08 ग्राम गहबरा, पटवारी हल्का नंबर 22 तहसील मैहर, जिला सतना, (मध्यप्रदेश)

खसरा नं सर्वे में	कुल रकबा	अधिग्रहित होने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
101	0.105	0.010
102	0.167	0.045
103	2.048	0.330
104	0.084	0.015
93	0.826	0.021
105	0.658	0.170
योग . .	3.888	0.591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 6अ-82-09-10 पत्र क्र. 501-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—कोठी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.779 हेक्टर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना दुर्गा नगर माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2008-09 ग्राम कोठी, पटवारी हल्का नंबर, तहसील उचेहरा, जिला सतना (म. प्र.)

खसरा नं सर्वे में	कुल रकबा	अधिग्रहित होने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
7	0.491	0.225
6	0.031	0.011

(1)	(2)	(3)
8/1	2.11	0.330
8/2	2.033	0.330
8/3	2.023	0.160
93/1	0.491	0.105
93/2	0.491	0.136
115/1	0.23	0.006
115/2	0.23	0.021
116	0.627	0.089
110/1	0.418	0.129
110/2	0.418	0.130
110/785	0.741	0.094
109	1.473	0.013
118/1ख	0.533	0.035
118/1क	0.533	0.131
118/2	0.533	0.131
108	1.442	0.053
149	0.732	0.128
150	3.25	0.190
92/1	0.021	0.006
92/2	0.021	0.007
81/786/1क/2	0.302	0.021
81/786/1क/1	0.46	0.094
81/786/1क/3	0.251	0.063
81/786/1ख	0.209	0.063
81/786/2	0.157	0.063
148	0.366	0.015
योग . .	20.617	2.779

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 7अ-82-09-10 पत्र क्र. 500-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—अमड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.683 हेक्टर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना करईया माइनर ग्राम अमड़ा में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि

खसरा नं सर्वे में (1)	कुल रकबा (2)	अधिग्रहित होने वाला रकबा (3)
109	0.136	0.004
110/1	0.094	0.030
110/2	0.209	0.131
111/1	0.146	0.035
111/2	0.157	0.005
127	0.596	0.260
128	1.735	0.338
130	0.679	0.007
140/2	0.167	0.011
141/1	0.909	0.062
141/2डी	0.693	0.358
160	1.319	0.218
161	0.157	0.080
163/1	1.024	0.006
162/1डी/डी	0.131	0.038
162/1डी/के	0.131	0.035
162/1डी/×	0.131	0.026
162/1डी/के	0.131	0.022
162/1डी/एम+	0.047	0.010
162/1डी/पी	0.104	0.007
योग . .	8.696	1.683

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 8अ-82-09-10 पत्र क्र. 492-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—बेला नदीपार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.826 हेक्टर.

ननबरी माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी 2007-08 ग्राम बेला नदीपार पटवारी हल्का नं. 22, तहसील मैहर जिला, सतना

खसरा नं सर्वे में (1)	कुल रकबा (2)	अधिग्रहित होने वाला रकबा (3)
7/1	0.256	0.108
7/2	0.256	0.107
7/8	0.061	0.005
131/7	0.042	0.036
25	0.282	0.060
26/1	0.324	0.122
27/1	0.39	0:130
27/2	0.391	0.100
34/2	0.668	0.127
35	0.658	0.031
10 योग . .	3.328	0.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 9अ-82-09-10 पत्र क्र. 493-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—अरकण्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.508 हेक्टयर.

ननबरी माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी 2007-08 ग्राम अरकन्डी पटवारी हल्का नं. 21, तहसील मैहर जिला, सतना

खसरा नं सर्वे में (1)	कुल रकबा (2)	अधिग्रहित होने वाला रकबा (3)
24/1	0.867	0.055
24/2	0.867	0.150
24/3	0.868	0.150
24/4	0.867	0.153
योग . .	3.469	0.508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 10अ-82-09-10 पत्र क्र. 494-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—हरदुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.128 हेक्टयर.

खसरा नं सर्वे नंबर (1)	कुल रकबा (2)	अधिग्रहित होने वाला रकबा (3)
45	0.219	0.001
108	0.031	0.007
47	0.034	0.001
54	0.063	0.001
68	0.115	0.012
53	0.031	0.009
69/2	0.105	0.052
55	0.031	0.004
58	0.052	0.001
65/1	0.052	0.036
66	0.021	0.021
67	0.125	0.079
69/1क	0.063	0.049
69/1ख	0.062	0.049
70/1क	0.15	0.057
70/1ख	0.15	0.057
70/2	0.003	0.003
75/1क	0.086	0.021
65/2	0.021	0.021

(1)	(2)	(3)
77/2	0.178	0.002
78/1ख	0.13	0.002
105/1क	0.02	0.005
105/1ख	0.02	0.004
105/2	0.033	0.007
106	0.01	0.01
109/2	0.031	0.001
128/1क	0.01	0.01
128/1ख	0.031	0.019
128/2	0.01	0.01
128/3	0.01	0.01
129	0.042	0.038
130	0.105	0.024
131	0.031	0.008
134	0.094	0.006
199	0.021	0.002
352/2	1.096	0.153
353	0.261	0.119
354	0.073	0.054
355	0.115	0.054
356/2	0.144	0.015
427/2	0.042	0.04
427/1	0.042	0.042
428/1ख	0.033	0.04
428/2	0.037	0.037
429/2	0.058	0.01
447/1	0.188	0.008
447/2क	0.089	0.041
447/2ख	0.089	0.041
612/447/1	0.063	0.043
612/447/2	0.063	0.043
448/1	0.028	0.004
448/2क	0.03	0.01
448/2ख	0.03	0.01
448/3	0.019	0.01
449/1	0.084	0.033
449/2	0.052	0.052
450/1	0.021	0.003
450/2	0.021	0.002
451/1क	0.053	0.01
451/2	0.031	0.012
472	0.136	0.091
475/1	0.021	0.004
475/2	0.021	0.014
531	0.209	0.04
532	0.199	0.126
533/1	0.28	0.019
562	0.021	0.001
564	0.125	0.014
563	0.199	0.179
569	0.094	0.018
570	0.146	0.075
561	0.397	0.023
योग . .	7.687	2.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 11अ-82-09-10 पत्र क्र. 496-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—कोरबारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.761 हेक्टयर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना, रंगोली माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2007-08 ग्राम कोरवारा पटवारी हल्का नंबर तहसील उचेहरा, जिला सतना (मध्यप्रदेश)

खसरा नं सर्वे में (1)	कुल रकबा (2)	अधिग्रहित होने वाला रकबा (3)
668/1क	0.120	0.065
668/2	0.376	0.075
669/1	0.308	0.100
669/2	0.309	0.100
686/3	0.470	0.223
686/4	0.470	0.060
687/3	0.031	0.013
687/4	0.042	0.005
697	0.408	0.207

(1)	(2)	(3)
670/1	0.376	0.187
670/3	0.188	0.010
650/1	0.139	0.040
644/1	0.021	0.003
650/2	0.139	0.049
645/1	0.303	0.267
645/2	0.303	0.020
645/3	0.303	0.010
644/3	0.021	0.010
683/1क	0.423	0.383
684/1क	0.063	0.019
741/1	0.904	0.267
698	0.314	0.173
701	0.575	0.093
702	0.178	0.058
737	0.376	0.045
699	0.314	0.023
683/1ख	0.423	0.040
703/1क	0.561	0.075
703/1ख/1	0.763	0.063
703/1ख/2	0.397	0.020
704/1ख	0.042	0.042
703/2	0.355	0.016
योग . .	10.015	2.761

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सतना के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 12अ-82-09-10-पत्र क्र. 495-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित (क्षेत्र) भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—झुरखुल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.007 हेक्टयर.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कोरबारा माइनर में पड़ने वाली अर्जित अशासकीय भूमि की जानकारी वर्ष 2007-08 ग्राम झुरखुल, पटवारी, हल्का नंबर, तहसील उचेहरा, जिला सतना (मध्यप्रदेश)

खसरा नं सर्वे में (1)	कुल रकबा (2)	अधिग्रहित होने वाला रकबा (3)
336	0.502	0.130
339	0.418	0.090
338	0.115	0.050
337/1	0.031	0.007
337/2	0.031	0.007
337/3	0.031	0.007
341	0.397	0.120
342	0.042	0.010
345/1	0.293	0.110
345/2	0.303	0.110
348	0.606	0.390
350/2/इ	0.021	0.011
350/2/इ	0.021	0.011
351/2/ग	0.978	0.002
351/1	3.910	0.052
351/2/ख	0.978	0.015
351/2/घ	0.978	0.005
352	0.115	0.030
353	3.778	0.510
395	3.438	0.190
401	0.314	0.120
404/1	0.831	0.150
404/2	0.831	0.150
406	0.920	0.320
421	0.125	0.020
422	2.038	0.360
431	0.063	0.040
402/1/क	0.250	0.080
402/1/ख	0.250	0.010
402/1/ग	0.25	0.070
402/1/घ	0.248	0.150
402/1/ङ	0.298	0.060
402/2	1.296	0.230
403/2	0.042	0.020
402/3	1.317	0.110
403/1	0.052	0.010
432/4	0.878	0.250
योग . .	26.989	4.007

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.